भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 78
सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक)

पुरुष और महिला भागीदारी की दर

78. **श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः**
श्री बैन्नी बेहननः
श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः
श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:
श्रीमती जसकौर मीनाः
श्री के. सुधाकरन

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान देश में पुरुष और महिला श्रम भागीदारी दर का वर्ष-वार, क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय का मानना है कि 10 करोड़ छात्र और साथ ही अवैतनिक कार्यों में लगे हुए लोगों ने आशा खो दी है और उन्होंने काम छोड़ दिया है अथवा अन्य कारणों से काम की तलाश नहीं कर रहे हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) वर्ष 2014 से अब तक भारत में ग्रामीण और शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी की दर, वर्ष-वार कितनी रही है;

(घ) वर्ष 2012-2013 और 2021-22 के बीच काम छोड़ने वाली महिलाओं की संख्या और पिछले दस वर्षों के दौरान महिलाओं की कुल बेरोजगारी दर कितनी है तथा विशेष रूप से महामारी के बाद महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कितनी हानि हुई है;

(ङ) पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिकों के कार्यबल में भागीदारी के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों का प्रतिशत बहुत कम है और यदि हां, तो इसके कारण क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण की उपलब्ध रिपोर्ट और 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, विगत दस वर्षों के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की सामान्य स्थिति आधार पर पुरुष और महिला की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएपीआर) अनुबंध-**I** पर है और कामगारों का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण अनुबंध-II पर है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि श्रम बल भागीदारी दर बढ़ रही है जो इंगित करती है कि अधिक से अधिक लोग श्रम बल में शामिल हो रहे हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30-06-2021 से बढ़ाकर 31-03-2022 कर दिया गया है। दिनांक 10.07.2022 तक 1.50 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 59.53 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह दृष्टिकोण, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार ने, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर निरन्तर ध्यान केन्द्रित करते हुए रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना संभावित है।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल है।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

(ग): वर्ष 2013-14 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर निम्नानुसार है:

महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (% में)			
सर्वेक्षण	वर्ष	ग्रामीण	शहरी
श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण	2013-14	36.4	19.7
	2015-16	31.7	16.6
	2016-17	29.5	20.1
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)	2017-18	24.6	20.4
	2018-19	26.4	20.4
	2019-20	33.0	23.3
	2020-21	36.5	23.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई और श्रम ब्यूरो

दोनों सर्वेक्षणों के परिणाम अर्थात पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो अलग-अलग नमूना पद्धति और कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं। पीएलएफएस, श्रम बल की मौसम संबंधी तत्व को कवर करता है क्योंकि यह जुलाई से जून (यानी पूरे वर्ष) की अवधि के दौरान आयोजित किया जाता है जबकि श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में क्षेत्र का काम 7 से 9 महीने तक होता है और इसलिए, पूर्ण मौसम संबंधी तत्व को कवर नहीं किया गया था।

(घ): श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण और पीएलएफएस की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 2012-13 से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की सामान्य स्थिति आधार पर महिलाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है

सर्वेक्षण	वर्ष	यूआर	डब्ल्यूपीआर
श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण	2012-13	5.6	25.0
	2013-14	4.9	29.6
	2015-16	5.8	25.8
	2016-17	6.1	25.2
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)	2017-18	5.6	22.0
	2018-19	5.1	23.3
	2019-20	4.2	28.7
	2020-21	3.5	31.4

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई और श्रम ब्यूरो

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 में सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) पर संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्य सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में, समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

(ङ) और (च): उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, पुरुष और महिला दोनों के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति पर कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

पीएलएफएस के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)		
वर्ष	पुरुष	महिला
2017-18	71.2	22.0
2018-19	71.0	23.3
2019-20	73.0	28.7
2020-21	73.5	31.4

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

कुछ अध्ययन दर्शाते है कि अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में काम करती हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं, उनके अधिकांश कार्य का दस्तावेजीकरण या आधिकारिक आंकड़ों में हिसाब नहीं किया जाता है और इस प्रकार महिलाओं के काम को कम रिपोर्ट किया जाता है। हालांकि दिनांक 12.07.2022 तक, स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के कुल पंजीकरण में से 52.84% महिलाएं हैं।

*****

अनुबंध_ I

लोक सभा के दिनांक 18.07.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और महिला की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (% में)									
	2011-12		2012-13		2013-14		2015-16		2016-17	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
आंध्र प्रदेश	78.8	52.7	78.1	46.0	82.6	51.3	78.5	48.8	82.2	52.2
अरुणाचल प्रदेश	73.7	41.9	77.1	51.6	74.7	60.9	75.5	53.2	74.5	39.9
असम	82.0	29.1	81.4	29.0	83.8	36.0	75.3	26.7	82.4	39.5
बिहार	78.8	22.7	75.5	11.5	77.7	18.1	78.1	18.5	76.3	10.6
छत्तीसगढ	82.6	54.8	78.6	45.6	81.3	52.0	80.9	54.8	74.3	39.9
दिल्ली	74.3	15.7	71.1	13.3	69.0	11.1	67.0	12.6	68.7	14.3
गोवा	72.3	28.0	73.1	26.6	73.8	30.9	75.0	25.0	71.7	26.6
गुजरात	80.8	27.9	78.5	17.7	79.8	24.7	76.4	20.0	78.1	19.1
हरियाणा	70.4	14.7	71.5	16.4	72.9	17.2	70.6	19.7	72.0	15.8
हिमाचल प्रदेश	81.3	63.1	78.3	59.3	78.5	60.4	72.5	18.0	69.2	25.2
जम्मू और कश्मीर	72.2	17.2	73.9	15.0	72.3	19.4	65.6	10.6	68.9	11.7
झारखंड	82.7	38.9	80.0	30.5	83.2	46.5	82.0	49.0	75.5	19.6
कर्नाटक	79.1	37.2	78.2	33.1	79.3	35.3	77.5	33.9	79.1	35.9
केरल	72.1	28.2	66.7	25.9	73.4	34.7	71.7	31.4	71.3	32.9
मध्य प्रदेश	80.5	33.4	81.8	32.6	83.5	34.7	71.2	18.3	76.8	23.0
महाराष्ट्र	76.6	38.1	74.2	34.1	75.6	35.4	71.5	33.4	75.4	36.9
मणिपुर	70.9	56.7	72.5	37.7	73.9	52.6	76.5	47.7	73.3	55.3
मेघालय	80.0	58.4	72.2	49.9	79.3	61.2	77.0	53.6	76.8	56.9
मिजोरम	69.1	59.6	77.1	52.8	82.1	62.9	77.0	60.4	74.1	62.3
नागालैंड	70.7	51.5	63.7	36.8	67.1	37.5	74.1	59.6	66.7	41.1
ओड़िशा	78.9	25.4	81.2	26.9	80.2	30.1	78.9	25.4	75.4	20.5
पंजाब	72.6	9.8	73.4	13.8	72.4	11.4	71.5	11.6	73.6	16.9
राजस्थान	73.8	30.4	74.2	28.0	75.2	34.8	75.4	32.8	73.2	27.0
सिक्किम	78.6	57.7	81.6	47.0	80.4	56.9	78.1	55.6	75.4	34.3
तमिलनाडु	79.0	41.4	78.2	36.8	78.6	41.6	75.8	41.5	79.5	43.4
तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	79.4	54.6	71.5	44.5	77.9	53.5
त्रिपुरा	84.6	43.5	77.6	37.7	82.3	34.9	83.3	54.4	83.1	53.0
उत्तराखंड	71.9	23.5	71.0	22.2	70.6	28.6	70.7	22.5	67.9	22.5
उत्तर प्रदेश	76.9	12.6	77.6	12.3	64.7	15.5	75.0	14.0	77.2	15.4
पश्चिम बंगाल	80.2	24.6	80.8	22.8	80.6	18.7	81.3	22.0	80.7	20.7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	78.6	33.7	58.7	24.7	78.2	42.2	85.2	36.2	79.5	26.9
चंडीगढ़	76.1	11.3	67.2	13.4	66.3	12.4	63.2	8.2	69.1	6.1
दादरा और नगर हवेली	85.9	23.3	79.3	16.8	72.0	13.5	71.0	17.4	76.0	14.3
दमन और दीव	78.0	20.1	82.0	8.8	72.8	3.4	81.2	15.5	80.4	19.7
लक्षद्वीप	70.9	12.2	75.7	12.4	70.6	25.2	58.3	16.9	74.2	31.8
पुदुचेरी	79.1	29.2	77.9	26.4	70.6	27.9	77.3	31.3	74.6	30.1
अखिल भारत	**77.9**	**30.0**	**77.2**	**26.5**	**75.7**	**31.1**	**75.5**	**27.4**	**76.8**	**26.9**

स्रोत: वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अनुबंध I (जारी)

लोक सभा के दिनांक 18.07.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और महिला दोनों की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	श्रम बल भागीदारी दर (% में) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार							
	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
आंध्र प्रदेश	79.1	42.5	76.2	40.3	78.1	39.2	77.6	45.1
अरुणाचल प्रदेश	69.8	14.7	66.2	17.1	68.8	22.9	73.0	27.6
असम	80.3	12.7	77.6	12.7	77.0	16.4	79.2	24.6
बिहार	68.6	4.1	73.1	4.3	73.0	9.5	71.0	10.7
छत्तीसगढ	79.2	49.3	76.7	48.4	82.3	53.1	76.2	53.9
दिल्ली	75.0	14.3	75.2	17.8	73.5	16.1	72.3	13.8
गोवा	70.0	30.9	72.4	29.9	75.7	28.2	68.7	27.3
गुजरात	77.8	19.9	79.3	21.5	79.4	31.1	78.4	33.1
हरियाणा	74.3	14.3	74.4	15.3	73.7	15.7	72.4	19.1
हिमाचल प्रदेश	75.8	49.6	75.8	59.2	82.0	65.0	81.7	62.6
झारखंड	73.9	15.4	76.4	20.7	76.9	35.7	78.9	43.9
कर्नाटक	77.8	26.0	76.5	24.9	77.4	33.8	78.4	35.9
केरल	70.1	26.5	71.2	30.6	71.7	31.9	72.2	33.2
मध्य प्रदेश	80.0	31.7	78.8	27.9	80.0	37.7	81.4	40.5
महाराष्ट्र	74.9	30.8	73.8	31.6	75.6	38.7	75.4	36.0
मणिपुर	71.3	23.5	72.0	26.3	70.9	29.9	65.4	21.4
मेघालय	76.4	51.2	76.2	51.2	75.3	45.7	75.4	51.6
मिजोरम	73.6	30.0	68.7	29.2	69.8	37.0	70.3	41.7
नागालैंड	64.8	16.7	69.1	22.7	76.0	43.0	74.1	47.6
ओड़िशा	78.6	19.5	79.0	24.4	78.3	33.1	80.1	33.2
पंजाब	74.9	15.5	73.9	19.1	77.2	23.7	77.2	23.1
राजस्थान	73.5	27.0	74.5	31.4	76.2	38.6	75.7	39.9
सिक्किम	76.0	43.9	73.9	50.3	79.8	59.4	82.5	61.1
तमिलनाडु	77.7	33.7	74.8	37.0	77.9	40.2	78.5	43.0
तेलंगाना	74.9	32.6	72.4	38.3	75.7	44.3	76.0	45.4
त्रिपुरा	75.0	12.5	75.6	16.6	78.1	24.2	80.6	30.8
उत्तराखंड	69.8	18.1	71.7	19.4	74.6	31.8	72.5	31.5
उत्तर प्रदेश	75.1	13.5	73.1	13.6	76.0	17.7	77.3	22.6
पश्चिम बंगाल	79.3	20.8	81.1	22.2	80.0	24.0	81.7	28.7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	80.7	33.5	81.2	31.2	75.9	35.9	80.9	46.1
चंडीगढ़	78.0	25.2	74.4	24.7	77.3	20.4	68.7	24.1
दादरा और नगर हवेली	87.3	39.7	87.2	43.0	89.5	52.3	76.9	30.6
दमन और दीव	88.4	24.9	86.8	18.1	87.9	35.8		
जम्मू और कश्मीर	75.9	30.2	76.6	33.8	74.3	37.4	74.0	43.4
लद्दाख	-	-	-	-	72.8	51.1	72.4	69.6
लक्षद्वीप	74.9	18.4	71.7	17.8	81.2	29.7	74.5	19.4
पुदुचेरी	69.4	17.1	76.7	31.2	71.6	31.6	76.9	29.3
अखिल भारत	**75.8**	**23.3**	**75.5**	**24.5**	**76.8**	**30.0**	**77.0**	**32.5**

स्रोत: *वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय*

नोट: तुलना के लिए, उपर्युक्त सर्वेक्षणों के परिणामों अर्थात् श्रम ब्यूरो और पीएलएफएस को उस संदर्भ में समझने की जरूरत है जिसके साथ सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन तैयार किया गया है।

अनुबंध II

लोक सभा के दिनांक 18.07.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार कामगारों का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

सर्वेक्षण	**वर्ष**	**प्राथमिक क्षेत्र**	**द्वितीयक क्षेत्र**	**तृतीयक क्षेत्र**
श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण	2011-12	53.8	19.3	26.9
	2012-13	50.8	20.8	28.4
	2013-14	48.3	22.4	29.3
	2015-16	47.3	21.9	31.0
	2016-17	63.8	23.0	13.1
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)	2017-18	44.1	24.8	31.1
	2018-19	42.5	25.2	32.3
	2019-20	45.6	23.7	30.7
	2020-21	46.5	23.9	29.6

स्रोत: वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नोट: तुलना के लिए, उपर्युक्त सर्वेक्षणों के परिणामों अर्थात श्रम ब्यूरो और पीएलएफएस को उस संदर्भ में समझने की जरूरत है जिसके साथ सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन तैयार किया गया है।